राजभाषा विभाग राजकोट मंडल

आरटीआई एक्ट 2005 की धारा 4(बी) के संदर्भ में सूचना

उप धारा	वांछित सूचना	टिप्पणी
4(बी)(i)	संस्था के कार्य एवं कर्तव्यों का विवरण	मंडल पर राजभाषा नीति का प्रचार-प्रसार एवं कार्यान्वियन सुनिश्चित करना । सभी पुरस्कार योजनाओं को लागू करना । वार्षिक कार्यक्रम के अधीन निर्धारित सभी मदों की लक्ष्य प्राप्ति हेतु प्रयास करना ।
4(बी)(ii)	राजभाषा अधिकारी एवं कर्मचारियों के कर्तव्य एवं शक्तियों की जानकारी	मंडल पर "मंडल राजभाषा कार्यान्वियन समिति" तथा "नगर राजभाषा कार्यान्वियन समिति" के अध्यक्ष माननीय मंडल रेल प्रबंधक सर है । राजभाषा के लिए नियंत्रक अधिकारी के रूप में अपर मंडल रेल प्रबंधक एवं अपर मुख्य राजभाषा अधिकारी कार्यभार देखते है । **<u>राजभाषा अधिकारी के कर्तव्य :-</u>** मंडल पर एक राजभाषा अधिकारी कार्यरत है । संघ की राजभाषा नीति के अनुसार मंडल पर राजभाषा राजनीति का प्रचार-प्रसार करना, उसे कार्यान्वित करना तथा विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से कर्मचारियों को हिंदी में कार्य करने हेतु प्रेरित एवं प्रोत्साहित करना । गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के सभी मदों पर अनुपालन सुनिश्चित करना ।मंराकास/नराकास/स्टेराकास की सभी बैठकें समयपर संपन्न करना । महाप्रबंधक महोदय के अधीन आयोजित क्षेत्रीय राजभाषा बैठक में भाग लेना । कार्यशालाओं के माध्यम से कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिलाना । मंडल की अन्य समस्त गतिविधियों में भाग लेना । पत्रिका-प्रकाशन करना / हिंदी पखवाड़ा /कवि सम्मेलन / सेमिनार का आयोजन करना । पुस्तकालयों के लिए पुस्तकें एवं फर्नीचर की खरीद करना । संसदीय राजभाषा समिति के समस्त कार्य । <u>राजभाषा संवर्ग के लिए अलग से कोई SOP का प्रावधान नहीं है ।</u> <u>वरिष्ठ अनुवादकों की ड्यूटी :-</u> राजभाषा अधिकारी द्वारा दिए गए आदेशों का अनुपालन करना । राजभाषा अधिकारी को राजभाषा कार्यान्वियन में सहयोग प्रदान करना-जैसे कि धारा 3(3) के दस्तावेजों तथा अन्य पत्रों का अनुवाद करना । मासिक, त्रैमासिक, छः:माही तथा वार्षिक रिपोर्टें बनाकर समयपर प्रधान कार्यालय को भेजना । रेलवे बोर्ड राजभाषा शील्ड, महाप्रबंधक राजभाषा शील्ड की रिपोर्ट बनाना । बजट प्रावधान करना, राजभाषा निरीक्षण में सहयोग, पुस्तकालयों के लिए पुस्तकों की खरीद प्रक्रिया तथा रखरवाव, टीएंडपी मदों, कैश इम्प्रेस्ट का रजिस्टर बनाना व मेंटेन करना, पत्रिका-प्रकाशन, हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन, करना । सभी प्रकार की बैठकों को समयपर संपन्न करवाने में कार्य करना । कर्मचारियों को प्रशिक्षण, हिंदी पखवाड़ा आयोजन प्रतियोगिताओं का आयोजन तथा पुरस्कार वितरण समारोह में राधि का सहयोग करना । कंप्युटर द्विभाषी कारण की व्यवस्था करना इत्यादि ।
4(बी)(iii)	पर्यवेक्षण चेनलों सहित निर्णय लेने की प्रक्रिया में जिस प्रक्रिया को अमल किया जाता है ।	राजभाषा विभाग अपनी समस्त गतिविधियों को राजभाषा के नीति-नियमानुसार अनुपालन करता है । किसी भी कार्य को करने से पूर्व राजभाषा अधिकारी द्वारा अपर मुख्य राजभाषा अधिकारी का अनुमोदन एवं स्वीकृति लेता है । इस प्रकार मंडल पर सभी प्रक्रियाएँ नियमानुसार अमल में लाई जाती है

		।
4(बी)(iv)	कार्य निष्पादन में स्थापित मानक	सभी कार्य राजभाषा नियमावली तथा रेलवे बोर्ड द्वारा समय समय पर जारी परिपत्रों के अनुसार निष्पादित किए जाते हैं ।
4(बी)(v)	राजभाषा विभाग में रखे जाने वाले नियम, विनियम, अनुदेश नियमावली तथा अभिलोख इत्यादि	राजभाषा विभाग में राजभाषा नीति नियमों से संबंधित सभी नियम परिपत्र नियमावली एवं अनुदेश पुस्तिकाएँ उपलब्ध हैं जो राजभाषा अधिकारी एवं वरिष्ठ अनुवादकों के संरक्षण में सुरक्षित रखी जाती है। राजभाषा से संबंधित सभी नियम अधिनियम रेलवे की वेबसाइट पर जनहित एवं कर्मचारियों के प्रयोग हेतु प्रकाशित है ।
4(बी)(vi)	राजभाषा विभाग में महत्वपूर्ण दस्तावेजों का रखना	रेलवे बोर्ड द्वारा जारी सभी परिपत्र एवं संकल्प पत्रों को सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाता है ।
4(बी)(ix)	अधिकारी एवं कर्मचारियों की डायरेक्टरी	यह मद राजभाषा विभाग से संबंधित नहीं है । यह सिगनल एवं दूरसंचार विभाग से संबंधित है ।
4(बी)(x)	राजभाषा विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों का मिलने वाला मासिक पारितोषिक जिसमें विनियमों में दी गई क्षतिपूर्ति / हरजाना भी सम्मिलित है ।	यह मद राजभाषा से संबंधित नहीं है । यह कर्मिक विभाग से संबंधित है ।
4(बी)(xi)	राजभाषा विभाग को प्राप्त होने वाला वार्षिक बजट	यह मद राजभाषा से संबंधित नहीं है । यह इंजीनियरिंग विभाग से संबंधित है ।
4(बी)(xiv)	इससे संबंधित उपलब्ध जानकारी का विवरण	इससे संबंधित जानकारी का विवरण पश्चिम रेलवे की वेबसाइट www.wr.indianrailways.gov.in पर उपलब्ध है ।
4(बी)(xvi)	जन सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम एवं अन्य विवरण	श्रीमती सुनीता अहिरे – जन सूचना अधिकारी सह / राजभाषा अधिकारी / श्री कौशल कुमार चौबे-अपीलिय अधिकारी सह अपर मंडल रेल प्रबंधक – राजकोट

राजभाषा विभाग – संघटनात्मक चार्ट

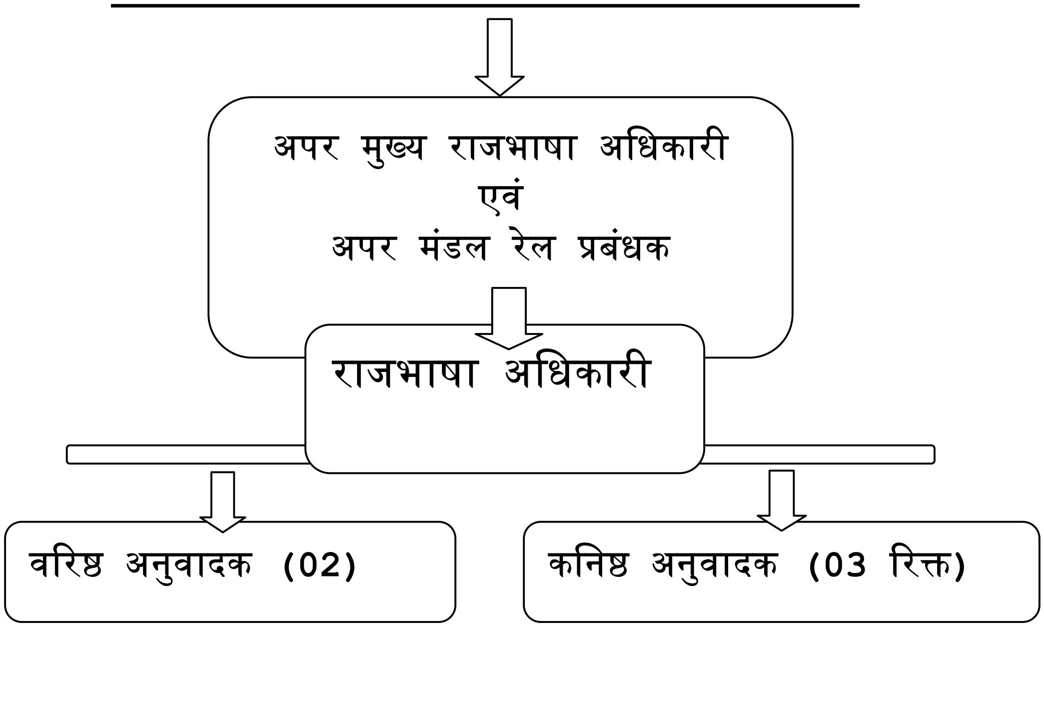

नोट

विषय : थर्ड पार्टी ऑडिट कार्रवाई – वर्ष 2023-24
संदर्भ : वरि॰मं॰वा॰प्रबंधक का दिनांक 15.02.2024 का
पत्र सं॰जी542/0/पॉलिसी

उपरोक्त संदर्भित विषय के संबंध में सूचित किया जाता है कि RTI अधिनियम 2005 की धारा 4(बी) के अधीन राजभाषा विभाग की जानकारी वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सॉफ्ट कॉपी के रूप में भेजी जा रही है । कृपया इसे राजकोट मंडल की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें ।

(सं॰जी/379/आरटीआई/भाग-1 दि.04.03.2024)

संलग्न : (कुल पृष्ठ 03)

(सुनीता अहिरे)
जन सूचना अधिकारी एवं
राजभाषा अधिकारी-राजकोट

प्रतिलिपि : सूचना एवं आवश्यक हेतु
वरि॰मंडल सिगनल एवं दूरसंचार इंजी॰-राजकोट
वरि.मंवाप्र एवं केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी-राजकोट